

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला-कोरिया, बैकुण्ठपुर (छत्तीसगढ़)

(07836-232721 (कार्या.), 232722(फैक्स), (Email ID: Korea.cg@nic.in)

—:आदेश:—

बैकुण्ठपुर, दिनांक 03 / 06 / 2020

क्रमांक / 5410 / एस.डब्ल्यू. / 2020 ::— कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक / 1543 / एस.डब्ल्यू. / 2020 बैकुण्ठपुर दिनांक 19.03.2020, क्रमांक / 1583 / एस.डब्ल्यू. / 2020 बैकुण्ठपुर दिनांक 22.03.2020, आदेश क्रमांक / 1696 / एस.डब्ल्यू. / 2020 बैकुण्ठपुर दिनांक 31.03.2020, आदेश क्रमांक / 1886 / एस.डब्ल्यू. / 2020 बैकुण्ठपुर दिनांक 14.04.2020, आदेश क्रमांक / 3076 / एस.डब्ल्यू. / 2020 बैकुण्ठपुर दिनांक 03.05.2020 एवं आदेश क्रमांक / 3992 / एस.डब्ल्यू. / 2020 बैकुण्ठपुर दिनांक 17.05.2020 के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित कर संपूर्ण जिले में 16 अगस्त 2020 तक दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 लागू की गई है।

2- गृह मंत्रालय भारत सरकार का आदेश क्रमांक 40-3/2020-DM-I(A) दिनांक 17.05.2020 में दिये गये निर्देश के अनुक्रम में स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस (COVID-19) के संपर्क से पिड़ित, संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत है। छोगो शासन के द्वारा भी यह निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जावे। यही कारण है कि COVID-19 के संभाव्य प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिए ना सिर्फ राज्य में बल्कि पूरे देश में सामाजिक/शारीरिक दूरी (Social/Physical Distancing) को अपनाया जा रहा है।

इसी अनुक्रम में पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश क्रमांक / 5222 / एस.डब्ल्यू. / 2020 बैकुण्ठपुर दिनांक 29.05.2020 में आंशिक संशोधन करते हुये जिले के पान ठेले को सुबह 7.00 बजे से सायं 7.00 बजे तक संचालित किये जाने की अनुमति निर्धारित शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाती है :-

क्षेत्र - मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, झगराखाण्ड, लेदरी, खोंगापानी हेतु - दिन - सोमवार से शनिवार (प्रत्येक रविवार साप्ताहिक बंदी)

क्षेत्र - बैकुण्ठपुर, सोनहत, खड़गवां, भरतपुर हेतु - दिन - रविवार से शुक्रवार (प्रत्येक शनिवार साप्ताहिक बंदी)

शर्त :-

1. पान ठेले/दुकान में विक्रय किये जाने वाले पदार्थ का उपभोग/उपयोग सार्वजनिक स्थान/पान ठेले पर किये जाने का प्रतिबंध होगा। पान ठेले से इन सामग्रियों का मात्र विक्रय ही किया जावेगा।
2. खाद्य पदार्थ जैसे पान मसाला आदि की विक्रय FSSAI द्वारा जारी लाईसेंस /रजिस्ट्रेशन धारी ही कर सकेंगे। बिना लाईसेंस/रजिस्ट्रेशन के विक्रय की अनुमति नहीं होगी।
3. दुकान में सेनेटाइजर/हाथ धोने के लिए साबुन एवं पानी की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
4. संचालित ठेले में केवल एक ही कर्मचारी उपस्थित होंगे।
5. एक समय में एक ही ग्राहक की अनुमति होगी।
6. सार्वजनिक स्थानों पर थूकना/पीक करना प्रतिबंध रहेगा।
7. कोरोना वायरस कोविड-19 से बचाव हेतु आवश्यक जानकारी पोस्टर/पम्पलेट/पलेक्स का सार्वजनिक प्रदर्शन किया जाना अनिवार्य होगा।

2

- पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश के माध्यम से जिले के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में कोरोना पाजिटिव पाये जाने के कारण कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उपरोक्त कन्टेनमेंट जोन से संबंधित जारी आदेश यथावत् रहेंगे।
- स्वच्छता एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।
- गृह मंत्रालय, भारत सरकार तथा छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी शेष निर्देश यथावत रहेंगे।
- पूर्व में अप्रभावित क्षेत्र के हॉटस्पॉट/कन्टेनमेंट जोन घोषित होने की दशा में गतिविधियों के संचालन की अनुमति स्वतः समाप्त हो जावेगी।

दंडिक प्रावधान :-

इस आदेश में उल्लेखित गतिविधियों के संबंध में कोरोना वायरस (कोविड-19) की रोकथाम हेतु भारत शासन, राज्य शासन एवं स्वास्थ्य विभाग सहित जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेश, निर्देशों, एवं एडवाइजरी सहित उपरोक्त निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। इन लाकडाउन आदेशों एवं निर्देशों के उल्लंघन करते हुये पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जो लागू हों, के अंतर्गत कार्यवाही के भागी होंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(सत्य नारायण राठौर)
कलेक्टर

जिला दण्डाधिकारी,
कोरिया, बैकुण्ठपुर

बैकुण्ठपुर, दिनांक 03/06/2020

पृ.क्रमांक / 5411 / एस.डब्ल्यू. / COVID 19 / 2020

प्रतिलिपि -

1. संभाग आयुक्त, सरगुजा अम्बिकापुर जिला सरगुजा को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, कोरिया को सूचनार्थ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोरिया को सूचनार्थ।
4. अपर कलेक्टर, जिला कोरिया को सूचनार्थ।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, कोरिया को सूचनार्थ।
6. सर्व अनुविभागीय अधिकारी, जिला कोरिया को सूचनार्थ।
7. सर्व तहसीलदार, जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ।
8. आयुक्त, नगर पालिक निगम, चिरमिरी, जिला कोरिया को सूचनार्थ।
9. सर्व मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरीय निकाय, जिला कोरिया को सूचनार्थ।
10. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला कोरिया को सूचनार्थ।
11. जिला जनसम्पर्क अधिकारी, जिला कोरिया को प्रकाशनार्थ।
12. सर्व कार्यालय प्रमुख, जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ।
13. सर्व संबंधित जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ।

कलेक्टर

जिला दण्डाधिकारी,
कोरिया, बैकुण्ठपुर